

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (1)वरिष्ठता/अलेसे-11/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 27923-29422 दिनांक 23.07.1994 द्वारा लेखाकारों की दिनांक 01.04.1994 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। उक्त सूची में आवश्यक संशोधन पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 26026-27425 दिनांक 24.08.1996 द्वारा आंशिक संशोधन कर उक्त तिथि को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। विभागीय अधिसूचना दिनांक 24.08.1996 के विरुद्ध 1990 बैच सीधी भर्ती के लेखाकारों ने माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5570/1996 दायर की, उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिनांक 08.01.2013 द्वारा याचिकाकर्ताओं को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए।

निदेशालय द्वारा प्रभावित पक्षकारों को विभिन्न पत्रों द्वारा अभ्यावेदन चाहे गए परन्तु समुचित अवसर देने के पश्चात् भी सभी याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन नहीं दिया। प्रकरण का परीक्षण कर निदेशालय द्वारा जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 24.08.1996 को यथावत् रखा जाता है।


(पंकज पादनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (1)वरिष्ठता/अलेसे-11/2313

दिनांक :- 2/3/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 7(71)वित्त/विप्र/1996 दिनांक 20.07.2016 के क्रम में।
3. उप विधि परामर्शी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनके यू.ओ. नोट क्रमांक एफ.1 (सी)881/विधि/1551 दिनांक 01.02.2017 के क्रम में।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
6. श्री....., लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II) कार्यालय.....।
7. गोपनीय अनुभाग/डीपीसी सेल।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


(हेमलता कुमारी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)